

09-12-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले।

फरियादी लालाराम उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉक्रेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री गिर्राज भटेले ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

जावेद  
21/12/17  
तलवीर सिंह  
अधीनस्थ  
अधीनस्थ  
अधीनस्थ

# Order Sheet [Contd]

Case No. 1021/143 of 20...

का गुप्ता

साथिक वरिष्ठ २ प्रथम वर्ग  
मेडल सिग्नेचर पद

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of  
Parties or  
Pleaders where  
necessary

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है।  
अभियुक्तगण को धारा 294, 341, 323/34 एवं 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप  
से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव  
अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए  
जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब नहीं।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

साथिक वरिष्ठ २ प्रथम वर्ग  
मेडल सिग्नेचर पद